मूल्य : ₹ 60/-

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार, कोरबा (छ.ग.)
तमसो मा ज्योतिर्गमय

हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विवरणिका एवं प्रवेश - आवेदन पत्र

वर्ष : 2015-16

संकाय - कला/वाणिज्य/विज्ञान

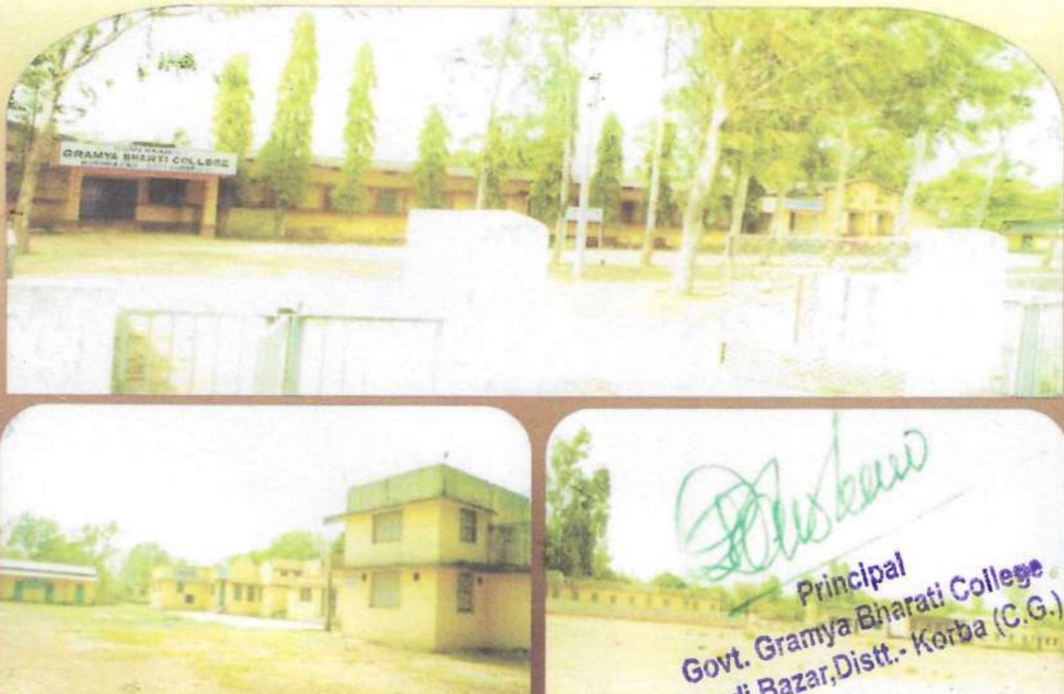

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

Ph/Fax No. : 07815-203206

E-mail : gbvphardibazar@gmail.com

Govt. G.B. Mahavidyalaya
Hardibazar
Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

प्राचार्य की कलम से...

उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्र-छात्राओं का भावात्मक विकास करना है । उच्च शिक्षा के अभाव में र देश एवं विश्व के प्रति आस्था सम्भव नही है । शिक्षित मनुष्य वही है, जिसमें वसुध्दैव कुटुम्बक की भावना ह पर्यावरण संरक्षण की भावना से ओतप्रोत हो।

यह गर्व की बात है कि आपने उच्च शिक्षा के लिए इस महाविद्यालय का चयन किया है। हम आपक सफल एवं आदर्श नागरिक बनाने में हर सम्भव प्रयास करेंगे। विभिन्न शोध पत्रिकाएं महत्वपूर्ण लेखव पुस्तकें, समाचार पत्रिकाएं, प्रायोगिक सुविधाओं द्वारा आपके शैक्षणिक विकास प्रयास करेंगे ।

शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों जैसे - खेलकूद, एन.एस.एस. युवा रेडक्रास सोसायटी में भाग लेकर आप व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे । सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनकर अ प्रतिभा को उठाने का अवसर आपको सदैव मिलेगा ।

महाविद्यालय में गठित विभिन्न समितियाँ आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा तत्पर रहेंगी । प्र से आप कभी भी आकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे ।

यह महाविद्यालय आपका अपना है । आप सुसंस्कृत एवं उत्कृष्ट अनुशासन में रहकर इसे उच्चगुण युक्त बनावें ।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ।

डॉ. टी. डी. वैष्णव
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

SAMPLE

Govt. G.B. Mahavidyalaya * Hardibazar * Distt. Korba (C.G.)

महाविद्यालयीन शैक्षणिक परिवार

श्री बोधराम कंवर जी
संस्था संस्थापक

डॉ. टी. डी. वैष्णव
प्रभारी प्राचार्य
विभागाध्यक्ष, भूगोल

डॉ. आई. के. कौशिक
विभागाध्यक्ष हिन्दी

डॉ. टी. एल. पटेल
विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान

डॉ. एस. के. चंद्राकर
विभागाध्यक्ष, भूगर्भ शास्त्र

डॉ. सुश्री शैलजा ठाकुर
विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र

श्री पी. के. पाण्डेय
सहा. प्राध्या. एवं
विभागाध्यक्ष वनस्पति

डॉ. जे. के. मेहता
सहा. प्राध्या. एवं
विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र

डॉ. एम. एम. वैष्णव
सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र

डॉ. ए. के. पाण्डेय
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र

श्री अखिलेश पाण्डेय
विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी
एवं रा.से.यो.

श्री एम. के. वर्मा
विभागाध्यक्ष, गणित

डॉ. के. के. दुबे
सहा. प्राध्या. एवं विभागाध्यक्ष,
भौतिक शास्त्र

डॉ. एस. कृष्णमूर्ति
सहा. प्राध्या. रसायन शास्त्र

श्री एस. के. शर्मा
क्रीड़ा अधिकारी

श्री अशोक कुमार मिश्रा
ग्रंथपाल

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

SAMPLE

Govt. G.B. Mahavidyalaya ★ Hardibazar ★ Distt. Korba (C.G.)

महाविद्यालयीन कार्यालयीन परिवार

श्री एम. एल. गुरुद्वान
उच्च श्रेणी लिपिक

श्री पी. एल. सोन
लेखापाल

श्रीमती कुमोदनी राठौर
निम्न श्रेणी लिपिक

श्री लतेल प्रसाद यादव
भृत्य

श्री बालाराम खाण्डे
फर्राश

श्री मनाऊराम यादव
चौकीदार

श्री श्याम सिंह कंवर
भृत्य

श्रीमती सोहनी मिश्रा
बुल लिफ्टर

महाविद्यालयीन प्रयोगशाला परिवार

श्री राजाराम जायसवाल
प्रायोगशाला तकनीशियन

श्री सत्यशर्मा
प्रायोगशाला तकनीशियन

श्री राखीराम कंवर
प्रायोगशाला तकनीशियन

श्री लालजी साहू
प्रायोगशाला तकनीशियन

श्री भुजबल यादव
प्रायोगशाला तकनीशियन

श्री बी. पी. अहीर
प्रायोगशाला परिचारक

श्री अशोक कुमार उपाध्याय
प्रायोगशाला परिचारक

श्री उत्तम दास महंत
प्रायोगशाला परिचारक

श्री दिलराज सिंह तंवर
प्रायोगशाला परिचारक

श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय
प्रायोगशाला परिचारक

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya
Hardibazar
Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
01.	महाविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास.	2
02.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	3
03.	महाविद्यालय में संचालित विभिन्न कक्षाओं / विषयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान एवं शुल्क विवरण.	4–5
04.	महाविद्यालय में उपलब्ध संकाय / पाठ्यक्रम / अध्ययन केन्द्र सम्बन्धी विवरण.	6–7
05.	शैक्षणिकेत्तर गतिविधियाँ.	8
06.	छात्र–छात्राओं के लिये महत्वपूर्ण जानकारी.	9
07.	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम।	10–18
08.	महाविद्यालय के विकास में सहभागी, जनभागीदारी समिति एक परिचय.	18
09.	सिटीजन चार्टर	19–20
10.	महाविद्यालय परिवार	21–22
11.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011	23
12.	प्रवेश समिति	24
13.	प्रवेश आवेदन पत्र	

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya ★ Hardibazar ★ Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
01.	महाविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास.	2
02.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	3
03.	महाविद्यालय में संचालित विभिन्न कक्षाओं / विषयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान एवं शुल्क विवरण.	4–5
04.	महाविद्यालय में उपलब्ध संकाय / पाठ्यक्रम / अध्ययन केन्द्र सम्बन्धी विवरण.	6–7
05.	शैक्षणिकेत्तर गतिविधियाँ.	8
06.	छात्र–छात्राओं के लिये महत्वपूर्ण जानकारी.	9
07.	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम।	10–18
08.	महाविद्यालय के विकास में सहभागी, जनभागीदारी समिति एक परिचय.	18
09.	सिटीजन चार्टर	19–20
10.	महाविद्यालय परिवार	21–22
11.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011	23
12.	प्रवेश समिति	24
13.	प्रवेश आवेदन पत्र	

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

SAMPLE

Govt. G.B. Mahavidyalaya ★ Hardibazar ★ Distt. Korba (C.G.)

महाविद्यालय में संचालित विभिन्न कक्षाओं / विषयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान

सत्र : 2015-16

क्रमांक	शासन द्वारा संचालित पाठ्यक्रम	उपलब्ध स्थान
01	बी.ए. प्रथम वर्ष	240
02	बी.ए. द्वितीय वर्ष	240
03	बी.ए. अंतिम वर्ष	240
04	बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (बायो)	160
05	बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष (बायो)	160
06	बी.एस-सी. अंतिम वर्ष (बायो)	160

क्रमांक	स्ववित्तीय योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रम	उपलब्ध स्थान
01	बी.कॉम- प्रथम वर्ष	80
02	बी.कॉम. द्वितीय वर्ष	80
03	बी.कॉम. अंतिम वर्ष	80
04	एम.ए.पूर्व / अंतिम (राजनीति शास्त्र)	40+40
05	एम.ए.पूर्व / अंतिम (समाज शास्त्र)	40+40
06	एम.ए.पूर्व / अंतिम (अर्थशास्त्र)	40+40
07	एम.एस-सी. पूर्व / अंतिम (भौतिक शास्त्र)	30+30
08	एम.एस-सी. पूर्व / अंतिम (रसायन शास्त्र)	25+25
09	एम.एस-सी. पूर्व / अंतिम (वनस्पतिशास्त्र)	30+30
10	बी.ए. प्रथम वर्ष (इतिहास)	40
11	बी.ए. द्वितीय वर्ष (इतिहास)	40
12	बी.ए. अंतिम वर्ष (इतिहास)	40
13	बी.एस-सी. पूर्व / अंतिम (गणित)	40+40
14	एम.एस-सी. पूर्व / अंतिम (प्राणी शास्त्र)	30+30
15	एम.एस-सी. पूर्व / अंतिम (भूगर्भ शास्त्र)	25+25
16	एम.ए.पूर्व / अंतिम (हिन्दी)	40+40
17	एम.ए.पूर्व / अंतिम (अंग्रेजी)	40+40
18	एम.ए.पूर्व / अंतिम (भूगोल)	40+40

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

SAMPLE

महाविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास

01) आदिवासी अंचल में अशिक्षा एवं अज्ञानता के तम को अपनी परिकल्पनाओं से निष्प्रभावी बनाने का प्रयास ही किसी विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो सकती हैं, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अशिक्षा एवं अज्ञानता के कुप्रभाव को करीब से देखा एवं भोगा हो। शास. ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के विषयों के उच्च अध्ययन का केन्द्र हैं। इसकी सीापना सन् 1983 में श्री बोधराम कंवर के अथक प्रयास से की गई है। महाविद्यालय के पास आज अपना प्रशासनिक भवन, कक्षाऐं, प्रयोगशाला भवन, विस्तृत क्रीड़ांगन एवं लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में फेला विस्तृत परिसर है। जिसमें लगभग बीस एकड़ में फलदार पौधें एवं शेष में वानिकी के वृक्ष रोपित है।

02) शास. ग्राम्य भारती विद्यापीठ बिलासपुर से 80 कि.मी. कोरबा से 25 कि.मी. तथा पाली एवं कटघोरा 30 कि.मी. एवं बलौदा से 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दक्षिण पूंर्वी कोयलांचल की खदानों क्रमशः गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा आदि से कुछ ही कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा यह क्षेत्र भविष्य में ऊर्जा राजधानी कहलायेगा।

03) इस संस्थान में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं पत्रकारिता संकाय में अध्ययन की सुविधा के साथ–साथ अनेक विषयों में **स्नातकोत्तर स्तर** पर भी सुविधा उपलब्ध है । महाविद्यालय के वरिष्ठ अनुभवी प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन में कई शोध छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों से एम.फिल. एवं पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य कर रहें हैं ।

04) यह महाविद्यालय सत्र 2012–13 से बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) से सम्बद्धता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 2 (एफ) एवं 12(बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

05) शिक्षा के साथ–साथ अन्य विधाओं यथा– क्रीड़ा, सांस्कृतिक गतिविधियों, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रास सोसायटी, इको क्लब में भी महाविद्यालय ने सदैव शीर्ष ऊँचाईयों को स्पर्श किया है।

06) सत्र 1995–96 से महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में नवीन पाठ्यक्रम के साथ ही रोजगार मूलक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है ।

07) महाविद्यालय की समस्त विभागों के प्रयोगशालाओं में नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण मंगाये गये हैं, समस्त प्रयोगशालायें व्यवस्थित एवं सुसज्जित हैं। महाविद्यालय का ग्रंथालय एवं वाचनालय अलग भवन में संचालित है तथा व्यवस्थित, सुसज्जित एवं सर्वसुविधा युक्त है । इसी क्रम में महाविद्यालय के अध्यापन कक्ष एवं क्रीड़ा कक्ष भी हर दृष्टि से पूर्ण है साथ ही क्रीड़ा विभाग, क्रीड़ा कक्ष एवं विशाल क्रीड़ांगन का लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है ।

08) महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं हेतु सायकल स्टैण्ड की व्यवस्था है, साथ ही छात्र/छात्राओं के लिये महाविद्यालय में शुद्ध शीतल पेयजल हेतु एक्वागार्ड वाटर कूलर की व्यवस्था भी की गयी है ।

उद्देश्य तथा लक्ष्य –

महाविद्यालय का उद्देश्य एवं प्रयोजन ध्येय वाक्य "तमसो माँ ज्योतिर्गमय" में प्रतिबिंबित हैं। विद्यापीठ के संस्थापकों ने विद्यापीठ के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये है :–

(अ) शैक्षणिक कार्यो के माध्यम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना ।

(ब) छात्रों की बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक प्रगति के लिए सतत् प्रयत्न करना।

(स) आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज एवं युवा वर्ग में चेतना जागृत करना ।

(द) उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं संकायों की शिक्षा – व्यवस्था के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता स्थापित करने हेतु कटिबद्ध है इस हेतु छात्र-छात्राओं को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं -

01) उन्नत ग्रंथालय / वाचनालय – महाविद्यालय का अपना सर्वसुविधायुक्त ग्रंथालय है जहाँ करीब 25000+ किताबें सभी संकाय / विषयों से सम्बद्ध छात्र / छात्राओं हेतु उपलब्ध है । ग्रंथालय में ही सर्वसुविधायुक्त वाचनालय भी है । छात्र वाचनालय का उपयोग ज्ञान वर्धन में कर सकते हैं । वाचनालय में पत्र–पत्रिकाओं की भी सुविधा है । यहाँ पर प्राध्यापकों / विद्यार्थियों हेतु इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है।

02) इंटरनेट सुविधा – प्राध्यापकों / स्नातकोत्तर के छात्रों हेतु कम्प्यूटर लैब में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग ज्ञानवर्धन हेतु किया जा सकता है । महाविद्यालय में 4 अलग–अलग कक्षों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है ।

03) कम्प्यूटर लैब सुविधा – महाविद्यालय में सर्वसुविधा युक्त 30+ कम्प्यूटर के साथ सुसज्जित कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है जहाँ छात्र–छात्राएँ प्रोजेक्ट वर्क तथा इंटरनेट सम्बन्धी कार्य कर सकते हैं ।

04) खेल मैदान – महाविद्यालय का अपना वृहद खेल मैदान है । जहाँ विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है वर्तमान में इस विभाग में अत्याधुनिक उपकरण क्रय किए गए हैं जिससे खिलाड़ी छात्र निश्चय ही लाभान्वित होंगे । यू.जी.सी. के सहयोग से आउटडोर स्टेडियम एवं विभिन्न खेल मैदान निर्माणाधीन है ।

05) रेमेडियल कोचिंग – अ.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं हेतु रेमेडियल कोचिंग एवं सेवा में भर्ती हेतु विशेष कोचिंग यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत है जिसे महाविद्यालय की समय–सारिणी के अतिरिक्त समय में आयोजित किया जाता है एवं **NET/SET** विशेष कोचिंग यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत है ।

06) प्रतियोगी परीक्षा – महाविद्यालय पी.एस.सी., रेल्वे, बैंक, एल.आई.सी., पुलिस प्रतियोगी, परीक्षा की प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु प्रयासरत् है । साथ ही इस महाविद्यालय में व्यापम द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

07) छात्रावास – महाविद्यालय के पास 30 सीटर बालिका छात्रावास उपलब्ध है ।

08) सायकल स्टैंड – महाविद्यालय के मुख्य द्वार नं. 2 पर सायकल स्टैंड की सुविधा उपलब्ध है । सभी छात्र / छात्राओं को अपनी सायकल / स्कूटर / मोटर सायकल इसी स्थान पर रखना अनिवार्य होगा ।

09) छात्रवृत्ति की जानकारी – शासन के निर्देशानुसार निम्न छात्रवृत्तियों की सुविधा महाविद्यालय में उपलब्ध है । ये छात्रवृत्तियाँ वांछित शर्तों पर ही देय होगी ।

1 / मेरिट छात्रवृत्ति 2 / विकलाँग छात्रवृत्ति 3 / राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति 4 / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
5 / खेलकूद छात्रवृत्ति 6 / अ.जा / अ.ज.जा / अपिव 7 / बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे) 8 / यू.जी.सी. छात्रवृत्ति

10) गर्ल्स कॉमन रूम – महाविद्यालय में छात्राओं के लिए सर्वसुविधायुक्त कॉमन रूम की भी व्यवस्था है।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar Distt. Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya ★ Hardibazar ★ Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

शैक्षणिकेत्तर गतिविधियाँ -

छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु यह भी आवश्यक है कि अध्यापन के साथ–साथ शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों में भी रूचि लेवें । इस हेतु सत्र **2015-16** में निम्न प्रकार की गतिविधियाँ रहेंगी :–

01) क्लब गतिविधियाँ –

छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास हेतु क्लब गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है । निम्न क्लब गतिविधियों हेतु छात्र/छात्राएँ क्लब प्रभारी के पास नामाँकन करा सकते हैं ।

अ) ईको क्लब

ब) हॉबी क्लब

स) अँग्रेजी भाषा क्लब

द) विज्ञान क्लब

02) **रेडक्रास सोसायटी –**

इस महाविद्यालय के रेडक्रास सोसायटी की अपनी पृथक पहचान हैं । रक्तदान को महादान चरितार्थ करते हुए सोसायटी ने लगातार अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दोहराई है।

03) **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) –**

महाविद्यालय में रा.से.यो. की दो इकाईयाँ क्रियाशील हैं । इनमें एक इकाई छात्राओं हेतु आरक्षित है । ''समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास'' के ध्येय के साथ रा.से.यो. ने इस महाविद्यालय में कई आयाम स्पर्श किए हैं ।

04) क्रीड़ा गतिविधियाँ –

क्रीड़ा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय की अपनी एक अलग पहचान है । महाविद्यालय के पास अपना क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी,व्हालीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के मैदान हैं । आउट डोर के साथ–साथ टेबल टेनिस जैसे इनडोर सुविधा भी उपलब्ध है । साथ ही विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण भी है ।

क्रीड़ा में रूचि रखने वाले छात्र खो–खो हॉकी,फुटबाल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स में सहभागिता से अपनी अलग पहचान बना सकते हैं ।

05) सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियॉं –

इसके अतिरिक्त अकादमिक कलेण्डर के अनुसार साल भर में विभिन्न कार्यक्रम, नैतिकता सम्बन्धी व्याख्यान, एक्सटेंशन सर्विस, विभिन्न सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियाँ भी सम्पन्न होती है ।

06) वृक्षारोपण/श्रमदान/गार्डनिंग –

प्रत्येक माह में एक दिन महाविद्यालय प्रांगण में छात्र–छात्राओं/प्राध्यापकों/कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान किया जावेगा साथ ही अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा बगीचा की साफ–सफाई होगी ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

छात्र/छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

विशेष परिस्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की तिथि –

- परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने पर महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन अथवा वि.वि. / बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो मान्य होगी । यह प्रवेश सम्बंधित कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में गुणानुक्रम में आने पर ही सम्भव होगा ।
- पुनर्मूल्यॉंकन की स्थिति में यदि स्थान रिक्त हो एवं आवेदक गुणानुक्रम में आता हो तो परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश सम्भव होगा । प्रायोगिक विषय की कक्षाओं में 30 नवम्बर के पश्चात् प्रवेश हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति आवश्यक है ।
- संकाय / विषय परिवर्तन के सम्बन्ध में स्थान रिक्त होने पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु – 30 सितम्बर तक
- स्वाध्यायी (प्रायोगिक विषयों) में प्रवेश हेतु – 30 नवम्बर तक

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -

- प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
- कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य ।

  एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा ।
- चिकित्सा अवकाश में रहने वाले छात्रों के उपस्थिति की गणना इन दिवसों को घटाकर की जावेगी ।
- उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2014 तक की जावेगी ।
- कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को यथासंभव सूचना दी जावेगी ।
- 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी "अमहाविद्यालयीन" के रूप में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेगा ।

विशेष जानकारी –

- विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 12वीं बैठक दिनांक 22.07.2006 में लिए निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2007–08 से आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा / अँग्रेजी भाषा में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है ।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र / छात्राओं की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 प्रतिशत अँक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

  सभी छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र / छात्राओं की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति सभी विषयों में अनिवार्य है।
- समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति की जानकारी छात्र / छात्राएँ प्रवेश लेने के 15 दिन के अंदर अथवा अगस्त माह के अंत तक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आवेदन भरने के लिए सम्बन्धित प्रभारी (श्रीमती कुमुदनी राठौर) से सम्पर्क स्थापित करें। साथ ही नियमित रूप से सूचना पटल का अवलोकन करें ।

  समस्त छात्र / छात्राओं से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय एवं समस्त विभाग / क्रीड़ा विभाग / पुस्तकालय / कार्यालय द्वारा प्रसारित सूचनाओं का अवलोकन समय–समय पर करते रहें, अन्यथा वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रयुक्ति :

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय को कड़ाई से पालन करना होगा । "प्रवेश" से

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन – पत्र जमा करना :–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन – पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनाँक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन – पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। बोर्ड/वि.वि. द्वारा अँकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अँकसूची के आवेदन – पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारी के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 प्रवेश पुनर्मूल्याँकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्याँकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्याँकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

स्नातकोत्तर स्तर -

कला	विज्ञान
राजनीति शास्त्र (स्ववित्तीय)	भौतिक शास्त्र (स्ववित्तीय)
समाज शास्त्र (स्ववित्तीय)	रसायन शास्त्र (स्ववित्तीय)
अर्थशास्त्र (स्ववित्तीय)	गणित (स्ववित्तीय)
अँग्रेजी (स्ववित्तीय)	प्राणी शास्त्र (स्ववित्तीय)
हिन्दी (स्ववित्तीय)	वनस्पति शास्त्र (स्ववित्तीय)
भूगोल (स्ववित्तीय)	भूगर्भ शास्त्र (स्ववित्तीय)

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya * Haradibazar * Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें । तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणनाक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अँक सहित, सूचना पटल में लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र में "प्रवेश दिया गया" रद्द की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा् करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100 अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने में रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमाँक एवं दिनाँक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जावेगा।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से सम्बन्धित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि सम्बन्धित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे जहाँ के छात्र ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya * Hardibazar * Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकी कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भा सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रि एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेग उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्ती आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । बी.एच.एस–सी. प्रथम वर्ष में कि भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :–

क. बी.कॉम./बी.एच.एस-सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एच.एम.एस–सी./ ए. पूर्व एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस–सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी./एम.ए. पूर्व प्रथम वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में निय प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। उस्मानिया काकतिया विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्टर वन सीटिंग परीक्षाएँ मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्या अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थ जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्र द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा विषयों/विषय समूहों के आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्र किया जावे। आवश्यकता हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा, अन्य महाविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे ।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क मात्रा प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 उपरोक्त कंडिका - 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्रा / छात्राओं को अस्थायी प्रवेश निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :

9.1 किसी भी महाविद्यालय / वि.वि. शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्रा / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा ।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गम्भीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच की रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये । ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में **22** वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष **27** वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जावेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में महिला छात्राओं को **3** वर्ष की छूट रहेगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर **25** वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर **27** वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलाँग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में **3** वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताँक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अँकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में क्रम निम्नानुसार होगा – उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.4 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जायेगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya * Hardibazar * Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

12. आरक्षण :

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप प्रवेश निम्नानुसार दिया जावेगा :—

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.वर्ग से भरी जायेगी। इस हेतु प्राचार्य पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भरकर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों तथा विकलाँग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलाँग आवेदकों को प्राप्ताँकों का 10% अँकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अँक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 0.5 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 0.5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के पर्याप्त छात्र/छात्राएँ उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताँकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स :–

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाईड्स / रेन्जर्स / रोबर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / ए–सर्टिफिकेट	– 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 03 प्रतिशत
(ग)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. / 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	– 04 प्रतिशत
(ड.)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस में छ.ग. के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	– 05 प्रतिशत
(च)	राज्यपाल स्काउट्स	– 05 प्रतिशत
(छ)	राष्ट्रपति स्काउट्स	– 10 प्रतिशत
(ज)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	– 10 प्रतिशत
(झ)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	– 10 प्रतिशत
(य)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को / अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को	– 15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	– 10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	– 05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सम्भाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– **02** प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	– **04** प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका **13.4 (1)** में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर सम्भाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– **06** प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	– **07** प्रतिशत
(ग)	सम्भाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	– **05** प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को	– **15** प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	– **12** प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	– **10** प्रतिशत

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को --**10** प्रतिशत

13.6 छ.ग. शासन/म.प्र. से मान्य खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – **10** प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को – **12** प्रतिशत

13.7 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – **01** प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन :–

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि –

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले **4** क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम के अर्हकारी परीक्षा संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से **5** प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा **30** सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका **2.2** में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से **15** दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक सम्बन्धित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोधार्थियों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य पूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य सम्पादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं, जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar * Distt. Korba (C.G.) *

SAMPLE

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

टीप: प्रवेश नियम से सम्बन्धित शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, संशोधन सम्मिलित माना जावेगा।

महाविद्यालय विकास में सहभागी, जनभागीदारी समिति-एक परिचय

राज्य शासन की नीति के तहत् महाविद्यालयों में **"जनभागीदारी समिति"** का गठन एक सकारात्मक सोच है, समिति का महती उद्देश्य छात्र हित में महाविद्यालय के बहुआयामी विकास हेतु विभिन्न रचनात्मक कार्यों के सम्पादन से शिक्षा के आदर्श बौद्धिक परिवेश का निर्माण करना है, परन्तु यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि समिति की सोच कितनी सकारात्मक है और कितनी तत्परता से उन समस्याओं से निजात पाकर विकास के नये आयाम स्थापित करती है । जनभागीदारी समिति ने न केवल महाविद्यालय के आधारभूत आवश्यकताओं यथा – पानी, बिजली एवं आसन व्यवस्था आदि की पुनर्स्थापना कर समस्याओं से निजात दिलाती है, बल्कि **"स्ववित्तीय योजना"** के तहत् विभिन्न रोजगार मूलक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में सहयोग प्रदान करती है। शिक्षक विहीन विभागों के लिए वैकल्पिक शिक्षकों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर अनुकरणीय कदम उठाती है । समिति से भविष्य में महाविद्यालय के विकास में सक्रिय सहयोग की आशा है ।

वर्तमान में (विवरणिका छपाई के समय तक) महाविद्यालय को शासनाधीन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण जनभागीदारी समिति का गठन नहीं हो पाया है, शासन से श्री नरेश टंडन को अध्यक्ष के रूप नियुक्त किया गया है शेष सदस्यों एवं समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

कार्यालयीन परिवार

क्र.	नाम	पद
1	श्री एम.एल.गुरूद्धान	उच्च श्रेणी लिपिक
2	श्री पी.एल.सोन	लेखापाल
3	श्रीमती कुमोदनी राठौर	निम्न श्रेणी लिपिक
4	श्रीमती सोहनी मिश्रा	बुकलिफ्टर
5	श्री एल.पी.यादव	भृत्य
6	श्री एस.एस.तंवर	भृत्य
7	श्री एम.आर.यादव	चौकीदार
8	श्री बी.आर.खाण्डे	फर्राश

प्रयोगशाला परिवार

क्र.	नाम	पद
1	श्री एल.जे.साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन (भौतिकशास्त्र)
2	श्री बी.यादव	प्रयोगशाला तकनीशियन (रसायनशास्त्र
3	श्री आर.आर.जाय	प्रयोगशाला तकनीशियन (वनस्पतिशास्त्र)
4	श्री सत्य शर्मा	प्रयोगशाला तकनीशियन (प्राणीशास्त्र)
5	श्री आर.आर.कंवर	प्रयोगशाला तकनीशियन (भूगर्भशास्त्र)
6	श्री ए.के.उपाध्याय	प्रयोगशाला परिचारक (भौतिकशास्त्र)
7	श्री डी.एस.तंवर	प्रयोगशाला परिचारक (भूगोल)
8	श्री बी.पी.अहीर	प्रयोगशाला परिचारक (प्राणीशास्त्र)
9	श्री यू.डी.महंत	प्रयोगशाला परिचारक (रसायनशास्त्र)
10	श्री पी.के.पाण्डेय	प्रयोगशाला परिचारक (वनस्पतिशास्त्र)

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)
SAMPLE

कार्यालय प्राचार्य शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार, जिला–कोरबा (छ.ग.)
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्र. 4297 / 3586 / 11 / 38–1 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाले सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है अर्थात :–

अधिसूची

क्र.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदान की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय–सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
	समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदाय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट चरित्र प्रमाण	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

टीप – शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार में
1. पदाभिहित अधिकारी – डॉ. टी.डी. वैष्णव (प्रभारी प्राचार्य)
2. प्राधिकृत अधिकारी – डॉ. टी.एल. पटेल (प्राध्यापक)
3. प्राधिकृत कर्मचारी – ~~श्री पी.एल.~~ सोन (लेखापाल)

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

सिटीजन चार्टर

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. एफ 7-3/09/1-6

रायपुर दिनांक 6 मार्च 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागायुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय : सिटीजन चार्टर – पुनरीक्षित निर्देश

संदर्भ : इस विभाग का ज्ञापन क्र.1456/59/ व्ही.आई.पी./97/1/9 दिनांक 14.10.1998 क्रमांक 1874/59/ व्ही.आई.पी-/97/1/9, दिनांक 18.12.1998, क्रमांक एफ 2-2/9/ एफ 9 दिनांक 17.9.1999 क्रमांक एफ 1-52/99/1/9 दिनांक 28.03.2000

(1) कृपया अविभाजित मध्यप्रदेश में जारी किये गये संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें जिनमें सिटीजन चार्टर को प्रभावी रुप से लागू करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

(2) नागरिकों के दैनिक जीवन से सरोकार रखने सम्बन्धी शासन के कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों/शिकायतों पर निर्धारित समय सीमा में समुचित निर्णय/निराकरण होना चाहिए, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सिटीजन चार्टर की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त अनुभव के आधार पर विभिन्न विभागों की गतिविधियाँ/योजनाएँ चिन्हित की गई हैं तथा इनके तहत प्राप्त होने वाले आवेदन का निराकरण करने के लिए समय–सीमा तथा प्रभारी अधिकारी / विहित अधिकारी विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

(3) समय–सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में शिकायत के लिए अधिकारी विहित किये गये हैं और इस तरह शिकायत के निराकरण हेतु भी समय–सीमा निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में आपकी सुविधा एवं जानकारी के लिए इस ज्ञापन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा सिटीजन चार्टर के तहत प्रकाशित की गई विभागवार गतिविधियाँ / योजनाएँ प्रभारी अधिकारी, समय–सीमा एवं शिकायत हेतु प्राधिकारी की जानकारी नमूने के रूप में परिशिष्ट – 'अ' पर संलग्न है।

(4) तदानुसार इस राज्य में सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये –

अ. प्रभारी अधिकारी / विहित अधिकारी स्तर पर

1. सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाएँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समय–सीमा दर्शाते हुए प्रत्येक कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए।

2.1 इस व्यवस्था के तहत नमूने के परिशिष्ट – 'अ' में बताये गये विषय पर सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर विहित / प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवेदनों का सकारात्मक रूप से निर्धारित समय–सीमा

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SSAMPLE

प्रवेश समिति

क्र.	कक्षा	प्रवेश प्रभारी
01.	बी.ए. भाग–1, 2, 3	01. डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, प्राध्यापक अर्थशास्त्र 02. डॉ. सुश्री शैलजा ठाकुर, प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
02.	बी.एस.सी भाग–1, 2, 3	01. डॉ. टी.एल. पटेल, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र 02. डॉ. एम.एम. वैष्णव प्राध्यापक रसायन शास्त्र
03.	बी.कॉम. भाग–1, 2, 3	01. डॉ. के.के. दुबे प्राध्यापक भौतिक शास्त्र 01. डॉ. एस. कृष्णमूर्ति प्राध्यापक रसायन शास्त्र

नोट :– सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश प्रभारी सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya
Hardibazar
Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)
प्रवेश आवेदन पत्र (पंजीयन)

आवेदक का वर्तमान पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र

1. संस्था का नाम : शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार , जिला – कोरबा (छ.ग.)
2. विश्वविद्यालय का नाम : बिलासपुर वि.वि., बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. आवेदक का नाम : श्री / कुमारी ....
4. पिता का नाम : ....
5. जन्म तारीख : .... उम्र ....
6. लिंग : .... रक्त ग्रुप ....
7. वर्ग (सामान्य / अजा. / अजजा. / अ.पि.व.) : ....
8. कक्षा : .... समूह........................ उंचाई........................
9. प्रवेश क्रमॉंक एवं दिनांक : ....
10. पत्र व्यवहार का पता (वर्तमान) : .... मोबाईल........................
11. स्थायी पता : ....

12. आवेदक द्वारा यदि कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो ।

पुरस्कार का विवरण	वर्ष	निकाय	स्तर	उपलब्धि का क्षेत्र / विशेष

13. क्या आवेदक गत वर्ष रा.से.यो. का स्वयं सेवक था ? यदि हां तो संस्था का नाम..
14. क्या आवेदक 'ए' या 'बी' प्रमाण पत्र धारी है ? यदि हां तो प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें........................
15. अभिरूंचि : ....
16. आप क्यों रासेयो स्वयं सेवक के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं ?

....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनाँक ....

कार्यालय उपयोग हेतु

संस्था का कोड क्र. .... रासेयो इकाई का कोड क्र. .... रासेयो पंजीयन क्र. ....

दिनाँक .... दल क्र. ....

हस्ताक्षर – रासेयो कार्यक्रम अधिकारी

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी सत्र : 2015-16

01.	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु विवरणिका एवं प्रवेश फार्म मिलने की तिथि	09 जून 2015
02.अ /	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	10 जुलाई 2015
ब /	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु सीट उपलब्ध होने पर विलम्ब शुल्क 100 रू. सहित फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	25 जुलाई 2015
03.	सभी संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष की प्रथम चयन सूची का प्रकाशन	15 जुलाई 2015
04.	सभी संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष हेतु द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन	21 जुलाई 2015
05.	सभी संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष हेतु तृतीय चयन सूची का प्रकाशन	24 जुलाई 2015
06.	अंतिम सूची का प्रकाशन	30 जुलाई 2015

(स्थान रिक्त रहने पर माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से 14 अगस्त तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

विलम्ब शुल्क 100 रू. के साथ प्राप्त आवेदनों को सम्बंधित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर ही अंतिम सूची में ही शामिल किया जा सकेगा ।

- स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के परिणाम निकलने के पश्चात् क्रमशः स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश कार्य किए जावेंगे ।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रभारी, विभागाध्यक्ष रहेंगे ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE

DO'S AND DONT'S

Do's

1. कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. सभी आंतरिक परीक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है।
3. छात्र/छात्राएँ महाविद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे।
4. महाविद्यालय में छात्र/छात्राएँ शालीन वस्त्र पहनकर आयेंगे।
5. कक्षा में शालीन व्यवहार करेंगे।
6- अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्रिया कलाप में भाग लेना होगा।
7- प्रत्येक छात्र को प्रदत्त व्यक्तिगत फोल्डर पूर्ण रूपेण भरकर संबंधित प्राध्यापक के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
8- छात्र/छात्राएँ अपने वाहन हमेशा स्टैण्ड में ही रखेंगे।

Dont's

1. बिना परिचय पत्र के परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित है।
2. मोबाईल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
3. रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
4- महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना अनुशासनहीनता मानी जावेगी।
5- महाविद्यालय के अधिकारी/ कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार अनुशासन हीनता मानी जावेगी।
6- कोई भी छात्र/छात्रा ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे महाविद्यालय की गरिमा धूमिल हो।
7- परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा।
8- छात्र/छत्राएँ अपने वाहय मित्रों को महाविद्यालय में साथ न लावें।

VIDYA BOOK DEPOT || Near Old Bus Stand, Opp. Govt. Hospital, Main Road, Korba (C.G.) 09827922165

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. G.B. Mahavidyalaya Hardibazar Distt. Korba (C.G.)

SAMPLE